

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना**

राँची, दिनांक- 06 मार्च, 2019

सं0सं0-3/नि0सं0-09-38/2016 का. 2127/ श्री सत्येन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 316/03) को विशेष वाद सं0- 9/88 (State through Mukar Mahto Vs. Satyendra Tiwari) में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश IX-सह-विशेष न्यायाधीश (निगरानी), धनबाद द्वारा दिनांक 26.09.2014 को पारित न्यायादेश में आरोप मुक्त किये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर Acquittal appeal (DB) No.- 29/2015, State through Dy. Superintendent of Police, Vigilance Bureau (ACB), Ranchi Vs. State of Jharkhand and Satyendra Tiwari को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उनसे कनीय को प्रदत्त विभिन्न उच्चतर कोटियों में प्रोन्नति की तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र0	पदनाम	झा0प्र0से0 के विभिन्न उच्चतर पदों में भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति की तिथि
i	ii	iii
1	अपर सचिव कोटि	03.12.2013
2	विशेष सचिव कोटि	25.11.2016

2. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W.P.(S) No. 3795/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(एच0 के0 सुधौंशु)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 3/नि0सं0-09-38/2016 का0 2127/ राँची, दिनांक- 06 मार्च, 2019
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 3/नि0सं0-09-38/2016 का0 2127/ राँची, दिनांक- 06 मार्च, 2019
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/जिला कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर (पलामू) एवं श्री सत्येन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, पता- राँची रोड, रेडमा (कैम्ब्रिज स्कूल के निकट), पो0- चियांकी, मेदिनीनगर, पिन- 822102 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।